

## कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

क्रमांक:- शिावेरा/प्रारं/शि.सस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260वां-3/2019/

दिनांक:-24/12/2019

### ::कार्यालय आदेश::

निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकितानुसार विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स	नाम कर्मचारी मय पद सर्व श्री....	नियुक्त तिथि	विदेश का नाम	अवधि
1.	श्रीमती सीमा सैनी, प्रबोधक लेवल-2 राप्रावि 5 एलएल श्रीगंगानगर	03.10.2008	कनाडा	01.03.2019 से 30.03.2019
2.	श्रीमती मीना मेडतिया अध्यापिका राप्रावि नोसर अजमेर	05.09.1997	दुबई (य.ए.ई)	19.01.2020 से 29.01.2020
3.	श्री हरजिन्द्र सिंह अध्यापक राप्रावि 4 डब्ल्यू ढाणी श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर	05.07.1996	पाकिस्तान	26.12.2019
4.	मंगल सिंह अध्यापक राउप्रावि ततारसर 50 एनपी रायसिंहनगर श्रीगंगानगर	16.02.1989	न्यूजीलैण्ड	20.12.2019 से 18.01.2020
5.	खुशबू छाबडा अध्यापक राउप्रावि तालाब की ढाणी मंगलूना लक्ष्मणगढ सीकर	27.12.2018	सिंगापुर	01.02.2020 से 12.02.2020
6.	रामदेव सिरान अध्यापक राबाप्रावि गजरूपदेसर नोखा बीकानेर	04.04.2015	थाइलैण्ड	10.01.2020 से 16.01.2020

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- विदेश में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पतों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराएँगे।
- यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
- विदेश यात्रा अवधि में शाला में अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।


आज्ञा से

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं परराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि .....
- प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बन्धित कार्मिक .....
- रक्षित पत्रावली ।

  
उपनिदेशक 24/12/19

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर